कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी एवं जैव विविधता संरक्षण) सह मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, छत्तीसगढ़

सेक्टर–19, नार्थ ब्लाक, अरण्य भवन, प्रथम तल (एफ.आर.) अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

✉ cwlwcg@gmail.com (☎0771-2512880, 🖷 0771-2512881)

क्रमांक / व.प्रा. / प्रबंध–354 / 2896 नवा रायपुर, दिनांक 16 / 08 / 2021

प्रति,

1. विशेष सहायक,
   माननीय मंत्री
   वन एवं जलवायु परिवर्तन, आवास एवं पर्यावरण,
   परिवहन तथा विधि एवं विधायी कार्य विभाग
   रायपुर (छ.ग.)

2. माननीय श्री शिशुपाल सोरी,
   माननीय संसदीय सचिव,
   ई–2 / 43 सेक्टर–17, नवा रायपुर अटल नगर

3. माननीय श्री खेलसाय सिंह,
   माननीय सदस्य विधानसभा
   सी–2 / 20, आनंद नगर, रायपुर

4. माननीय श्री देवव्रत सिंह,
   माननीय सदस्य विधानसभा
   134 विला, मारूति लाईफ स्टाईल,
   मोहबा बाजार, कोटा रोड, रायपुर

5. प्रमुख सचिव,
   छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग,
   मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

6. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
   अटल नगर, रायपुर

7. पुलिस महानिदेशक,
   छत्तीसगढ़ रायपुर

8. सचिव,
   छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग
   मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर

9. सचिव,
   छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति,
   अनुसूचित जाति विकास विभाग,
   मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

10. प्रबंध संचालक,
    छत्तीसगढ़ राज्य पर्यटन बोर्ड, रायपुर

11. ब्रिगेडियर
छत्तीसगढ़ एंड ओड़िसा, सब एरिया
नया रायपुर (छ.ग.)

12. संचालक,
पशु चिकित्सा विभाग,
छत्तीसगढ़, रायपुर

13. निदेशक,
मत्स्योद्योग विभाग,
छत्तीसगढ़, रायपुर

14. निदेशक,
भारतीय वन्यजीव संस्थान,
पो.बा.–18, चंद्रबानी, देहरादून
248001 उत्तराखंड
Email: dwii@wii.gov.in

15. निदेशक
बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया,
सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, तृतीय एमएसओ बिल्डिंग,
ब्लॉक– एफ, 5 एवं 6 तल, डी.एफ. ब्लॉक
सेक्टर–1, साल्टलेक सिटी, कोलकाता. 700064

16. निदेशक,
जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया,
प्राणी विज्ञान भवन, एम–ब्लॉक, न्यू अलीपुर,
कोलकाता 700053

17. डॉ. आर. पी. मिश्रा,
वाईल्ड लाईफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया,
एफ–13, सेक्टर – 8, नोएडा
उत्तरप्रदेश – 201301

18. श्री सोमेन डे,
विश्व प्रकृति निधि के प्रतिनिधि (छ.ग./म.प्र.)
सतपुड़ा मैकल लैण्डस्कैप, बाघ संरक्षण परियोजना,
WWF India, हाऊस नं. 30, दत्त टाऊन शीप,
तिलहरी, जबलपुर, 482020 (म.प्र.)
e-mail - deysoumen@gmail.com,

19. सुश्री मीतु गुप्ता
कंजरवेशन कोर सोसायटी,
बिलासपुर

20. डॉ. सुहास कुमार,
सेवानिवृत्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
मध्यप्रदेश

21. श्री के.सी. बेबर्ता
सेवानिवृत्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
प्लॉट नं. 33, ऑफिसर कॉलोनी, धरमपुरा, रायपुर

22. श्री मोहित साहू,
पक्षी विशेषज्ञ, रायपुर

23. श्री अमलेंदु मिश्रा,
पर्यावरणविद, अंबिकापुर

24. श्री हेमंत कश्यप,
पर्यावरणविद, बस्तर

25. श्री राजेश यदु,
बलौदाबाजार

26. श्री मोईज अहमद,
नोवा नेचर वेल फेयर सोसायटी, रायपुर

27. श्री खगेश्वर नायक,
पूर्व निदेशक, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान,
भुवनेश्वर, ओडिसा

28. सुश्री नेहा सामुएल,
दुर्ग (छ.ग.)

29. डॉ. शिवाजी चौहान,
सेवानिवृत्त वन अधिकारी,
मुम्बई

विषय :— **छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड की 12 वीं बैठक दिनांक 21.06.2021 का कार्यवाही विवरण प्रेषित करने बाबत्।**

संदर्भ :— इस कार्यालय का पत्र क्र. 1903 दिनांक 14.06.2021.

——0——

विषयांतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में ''**छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड**'' की **12वीं बैठक** दिनांक **21.06.2021** को रायपुर में संपन्न हुई थी। उक्त बैठक का कार्यवाही विवरण सक्षम अनुमोदन उपरांत संलग्न कर सूचनार्थ प्रेषित है।

संलग्न :— कार्यवाही विवरण।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.) एवं
सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य
वन्यजीव बोर्ड, नया रायपुर

पृ. क्रमांक / व.प्रा. / प्रबंध—354 / 2897 नवा रायपुर, दिनांक 16 / 08 / 2021

प्रतिलिपि :—

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर,
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, अरण्य भवन, नवा रायपुर छ.ग.
3. समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय / वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़,
4. समस्त वनमण्डलाधिकारी, छत्तीसगढ़,
5. संचालक सह वनमण्डलाधिकारी, जंगल सफारी, नवा रायपुर,

6. संचालक अचानकमार–अमरकंटक बायोस्फियर रिजर्व, बिलासपुर,
7. संचालक कांगेरघाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर,
8. संचालक, गुरूघासीदास राष्ट्रीय उद्यान, बैकुण्ठपुर,
9. उप निदेशक, इन्द्रावती टायगर रिवर्ज बीजापुर/उदन्ती–सीतानदी टायगर रिजर्व, गरियाबंद/अचानकमार टायगर रिजर्व लोरमी/एलीफेंट रिजर्व सरगुजा ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.) एवं
सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य
वन्यजीव बोर्ड, नया रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड की बारहवीं बैठक दिनांक 21 जून, 2021 का कार्यवाही विवरण

*****

छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड की बारहवीं बैठक श्री भूपेश बघेल, माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन एवं अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड की अध्यक्षता में दिनांक 21.06.2021 को सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थित बोर्ड के सदस्यों एवं विशेष आमंत्रितों की सूची परिशिष्ट–एक में दर्शित है।

सर्वप्रथम श्री पी. वी. नरसिंग राव, भा.व.से. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़ द्वारा राज्य वन्यजीव बोर्ड के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, उपाध्यक्ष माननीय वनमंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन एवं बोर्ड के माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया।

अचानकमार टायगर रिजर्व अंतर्गत वन्यप्राणी रहवास क्षेत्र विकास, पेयजल व्यवस्था, नरवा विकास कार्य, अग्नि सुरक्षा कार्य एवं अन्य कार्य अंतर्गत वर्ष 2021–22 में लगभग 25.80 करोड़ रूपये के विकास कार्यों का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन के करकमलों से किया गया।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड ने माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्यवाही प्रारंभ की जिसका एजेण्डावार विवरण निम्नानुसार है :–

एजेण्डा आयटम 12/1 :– बोर्ड की ग्यारहवीं बैठक दि. 24.11.2019 के कार्यवाही विवरण/ पालन प्रतिवेदन का अनुमोदन –

छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड की ग्यारहवीं बैठक दिनांक 24.11.2019 में पारित प्रस्तावों पर की गई कार्यवाही से बोर्ड को अवगत कराया गया। कार्यवाही से बोर्ड अवगत हुआ, अनुमोदन किया।

एजेण्डा आयटम 12/2 :– भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाने हेतु वनभूमि के गैर–वानिकी प्रयोजन हेतु स्वीकृति–

भारत नेट परियोजना के तहत छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों के ग्राम पंचायतों को दूरसंचार की आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने एवं डिजिटलीकृत किया जाना है। इस परियोजना के तहत मेसर्स छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी (CHIPS) ने छत्तीसगढ़ राज्य के निम्नानुसार संरक्षित क्षेत्रों में ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाने हेतु आवेदन कर रजिस्ट्रेशन की अनुमति मांगी है। प्रकरण का परीक्षण उपरांत पंजीयन किये जाने बाबत अनापत्ति प्रदाय की जा चुकी है। प्रकरणों की जानकारी निम्नानुसार है :–

1. गोमार्डा अभ्यारण्य अंतर्गत वन क्षेत्र 0.825 हे.
2. उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व अंतर्गत वन क्षेत्र 9.589 हे.
3. तमोर पिंगला अभ्यारण्य अंतर्गत वन क्षेत्र 1.423 हे. एवं राजस्व वन 0.39 हे. कुल 1.462 हे.

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

4. इंद्रावती टायगर रिजर्व अंतर्गत वन क्षेत्र 5.777 हे. एवं राजस्व वन भूमि 0.103 हे. कुल 5.880 हे.
5. कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान अंतर्गत वन क्षेत्र 1.005 हे.
6. भोरमदेव अभ्यारण्य अंतर्गत वन क्षेत्र 3.579 हे.

इन समस्त प्रकरणों में वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निर्देश जारी किये जा चुके हैं। पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत होने पर अंतिम स्वीकृति की कार्यवाही की जावेगी।

पारित प्रस्ताव – कार्यवाही से बोर्ड अवगत हुआ। उपरोक्त प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गई ।

{कार्यवाही द्वारा – प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी),
समस्त मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.) रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर
तथा मुख्य वन संरक्षक दुर्ग एवं वन संरक्षक, एलीफेंट रिजर्व सरगुजा}

एजेण्डा आयटम 12/3 :– भोरमदेव अभ्यारण्य, कवर्धा अंतर्गत जिओ डिजिटल फाईबर प्रा.लि. के द्वारा ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाने बाबत् :–

मेसर्स जिओ डिजिटल फाईबर प्रा.लि. के द्वारा छत्तीसगढ़ संचार क्रांति योजना के तहत समस्त जिलों के ग्राम पंचायतों को दूरसंचार एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने सड़क के समानान्तर रकबा 1.165 हे. वनभूमि के गैर–वानिकी उपयोग हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

इस प्रकरण में वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निर्देश जारी किये जा चुके हैं। पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत होने पर अंतिम स्वीकृति की कार्यवाही की जावेगी।

पारित प्रस्ताव :– कार्यवाही से बोर्ड अवगत हुआ। उपरोक्त प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गई।

{कार्यवाही द्वारा – प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) दुर्ग एवं मुख्य वन संरक्षक
(वन्यप्राणी) रायपुर, एवं वनमंडलाधिकारी कवर्धा}

एजेण्डा आयटम 12/4 :– वनक्षेत्र में भ्रमण कर रहे हाथियों को रेडियो कॉलरिंग किया जाना –

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा 12 हाथियों को रेडियों कॉलर किये जाने का अनुमति वर्ष 2017 में प्राप्त हुई थी। इन हाथियों में रेडियो कॉलरिंग हेतु भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून (WII) एवं वाइल्ड लाइफ (SOS) संस्थान नई दिल्ली से रेडियो कॉलरिंग हेतु अनुबंध किया गया था। इन संस्थानों द्वारा वर्ष 2019–20 तक 08 हाथियों में रेडियों कॉलरिंग की गई थी जिसमें से 06 रेडियो कॉलर का समय पूर्ण हो गया है जिसे पुनः रेडियो कॉलरिंग किया जाना है। शेष बच गये 04 हाथियों में रेडियो कॉलरिंग किया जाना है। इस प्रकार कुल 10 जंगली हाथियों में रेडियो कॉलरिंग भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून (WII) एवं वाइल्ड लाइफ (SOS) संस्थान द्वारा किया जायेगा। रेडियो कॉलरिंग हेतु माह जनवरी 2021 में 01 वर्ष की समय वृद्धि भारत सरकार द्वारा प्राप्त हो गयी है।

पारित प्रस्ताव – उपरोक्त प्रस्ताव पर कार्य करने हेतु अनुमति बोर्ड द्वारा प्रदान की गयी। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि हाथियों के लिए पानी की पर्याप्त व्यवस्था हेतु बड़े जलस्रोत का निर्माण तथा भोजन हेतु हाथी विचरण क्षेत्रों में हाथी द्वारा खायी जाने वाली युक्तियुक्त प्रजातियों का रोपण सुनिश्चित किया

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

जावे ताकि हाथी वन क्षेत्र में ही रहें। माननीय अध्यक्ष महोदय ने चर्चा के दौरान कहा कि प्रदेश के सभी संभागों में हाथियों का विचरण हो रहा है। अतः हाथी के साथ कैसे रहा जाए इस पर कार्य किया जावे। केरल राज्य में मानव–हाथी सामंजस्य का अच्छा उदाहरण दृष्टिगोचर होता है। इस हेतु एक टीम अध्ययन हेतु केरल राज्य भेजा जावे एवं केरल के विशेषज्ञों को बुलाकर कार्यशाला आयोजित किया जावे।

{कार्यवाही द्वारा – प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी),
मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) रायपुर, बिलासपुर एवं
वन संरक्षक हाथी रिजर्व सरगुजा/
भारतीय वन्यजीव संस्थान/वाइल्ड लाइफ (SOS) संस्थान}

एजेण्डा आयटम 12/5 :– गुरूघासीदास राष्ट्रीय उद्यान एवं तमोर पिंगला अभ्यारण्य को टायगर रिजर्व घोषित करने बाबत् –

छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड की ग्यारहवीं बैठक में गुरूघासीदास राष्ट्रीय उद्यान एवं तमोर पिंगला अभ्यारण्य को टायगर रिजर्व घोषित करने हेतु सर्वसहमति से प्रस्तावित है।

निर्णय के परिपालन में पूर्व में अधिसूचित गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान एवं तमोर पिंगला अभ्यारण्य के क्षेत्रों को जोड़कर कोर (CORE) क्षेत्र के रूप में तथा इस प्रस्तावित टायगर रिजर्व के चारों तरफ के सीमा से लगे हुये वन क्षेत्र को बफर क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने हेतु प्रस्तावित किया गया है। बफर जोन के अंतर्गत मनेन्द्रढ़, कोरिया, सूरजपुर एवं बलरामपुर वनमण्डलों का वन क्षेत्र सम्मिलित किया गया है।

प्रस्तावित टायगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल विवरण निम्नानुसार प्रस्तावित हैः–

प्रस्तावित टायगर रिजर्व का नाम	कोर जोन में सम्मिलित क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी. में)	बफर जोन में सम्मिलित क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी. में)	योग क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी. में)
गुरूघासीदास–तमोर पिंगला टायगर रिजर्व	**2049.232**	**780.155**	**2829.387**

पारित प्रस्ताव – कार्यवाही से बोर्ड अवगत हुआ। उपरोक्तानुसार प्रस्तावित टायगर रिजर्व कुल क्षेत्रफल 2829.387 को गुरूघासीदास एवं तमोर पिंगला टायगर रिजर्व घोषित करने की अनुमति प्रदान की गई। टायगर रिजर्व में बाघों की संख्या में वृद्धि हेतु उनके रहवास विकास कार्य एवं विचरण क्षेत्र में भोजन श्रृंखला का संतुलन बनाये रखने के निर्देश दिए गए।

{कार्यवाही द्वारा – छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी),
वन संरक्षक एलीफेंट रिजर्व सरगुजा
संचालक गुरूघासीदास राष्ट्रीय उद्यान बैकुंठपुर}

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

एजेण्डा आयटम 12/6 :– एतवार से उधैनी मार्ग में गोपद नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य के संबंध में –

लोक निर्माण विभाग के द्वारा गुरूघासीदास राष्ट्रीय उद्यान बैकुण्ठपुर अंतर्गत एतवार से उधैनी मार्ग में गोपद नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग (लम्बाई 0.280 किमी. क्षेत्रफल 0.235 हे.) गुरूघासीदास राष्ट्रीय उद्यान बैकुण्ठपुर के अधीन आता है। उक्त मार्ग के निर्माण से स्थानीय लोगो के आवाजाही सुविधा होगी एवं वन विभाग की गस्ती दल को निगरानी में सहायता होगी।

अतः उक्त प्रस्ताव को अनुशंसा सहित राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाना प्रस्तावित है।

पारित प्रस्ताव :– प्रकरण अनुशंसा सहित राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड को भेजे जाने की अनुमति प्रदान की गई।

{कार्यवाही द्वारा – छत्तीसगढ़ शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, मंत्रालय
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)/वन संरक्षक एलीफेंट रिजर्व सरगुजा
संचालक, गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान}

एजेण्डा आयटम 12/7 :– राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 (पुराना रा.रा.मार्ग 221) जगदलपुर–सुकमा–कोन्टा रोड के उन्नयन कार्य के संबंध में–

कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर के अंतर्गत जगदलपुर–सुकमा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 (पुराना–221) आर.डी. 25.530 से 31.540 कुल लम्बाई 6.010 कि.मी. में विद्यमान डामर की चौड़ाई 3.00 मी. है, जिसके दोनों तरफ चौड़ीकरण करने हेतु डामर की चौड़ाई कुल 10.00 मी. एवं सोल्डर 2x2=4.00 मी. में सोल्डर, पुल–पुलिया, रेटेनिंगवाल, गार्डवाल, निर्माण सहित कार्य करने हेतु लोक निर्माण विभाग के द्वारा प्रस्तावित किया गया है। उक्त मार्ग के उन्नयन कार्य से ग्रामवासियों को आवागमन हेतु सुविधा होगी तथा विभाग को पेट्रोलिंग कार्यों में भी सहायता होगी। उक्त प्रस्ताव को अनुशंसा सहित राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाना है।

पारित प्रस्ताव :– प्रकरण अनुशंसा सहित राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड को भेजे जाने की अनुमति प्रदान की गई।

{कार्यवाही द्वारा – छत्तीसगढ़ शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, मंत्रालय
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
मु.व.सं. (व.प्रा.) एवं क्षेत्र संचालक आई.टी.आर./संचालक कांगेरघाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर}

एजेण्डा आयटम 12/8 :– शाकाहारी वन्यप्राणियों को विभिन्न प्रजनन केन्द्रों एवं अन्य स्थानों से प्रदेश के संरक्षित क्षेत्रों के प्राकृतिक रहवास में छोड़े जाने बाबत् –

प्रदेश के विभिन्न प्रजनन केन्द्रों में शाकाहारी वन्यप्राणियों की उपलब्धता को देखते हुये और संरक्षित क्षेत्रों में Prey base बढ़ोत्तरी करने हेतु इन केन्द्रों से शाकाहारी वन्यप्राणियों को संरक्षित क्षेत्रों में छोड़े जाने हेतु प्रस्तावित किया गया। विवरण निम्नानुसार है :–

1. **कांगेरघाटी राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर में निर्मित शाकाहारी वन्यप्राणियों के प्रजनन केन्द्र से शाकाहारी वन्यप्राणियों को छोड़े जाने बाबत्।**

कांगेरघाटी राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर के अंतर्गत शाकाहारी वन्यप्राणियों हेतु प्रजनन केन्द्र वर्ष 2015–16 में स्थापित की गई है। वन्यप्राणी प्रजनन केन्द्र के स्थापना के पश्चात् घायल वन्यप्राणियों को चिकित्सा एवं पुर्नवास के लिये भी इस केन्द्र में लाया गया है। प्रजनन केन्द्र में

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

उचित वातावरण मिलने के कारण वर्तमान में शाकाहारी वन्यप्राणियों की संख्या 84 हो गई है, जिसमें 80 चीतल, 03 नीलगाय एवं 01 चौसिंघा है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नियमानुसार शाकाहारी वन्यप्राणियों को प्रजनन केन्द्र से प्राकृतिक वनक्षेत्र में मुक्त करने की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। अतः इन वन्यप्राणियों में से कुछ वयस्क एवं स्वस्थ नर एवं मादा को राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत ही स्वतंत्र रूप से विचरण करने छोड़ा जाना है।

2. **बारनवापारा अभ्यारण्य बलौदाबाजार वनमण्डल में निर्मित बाड़े में रखे गये काले हिरणों को संरक्षित क्षेत्र में मुक्त करने बाबत्–**

बारनवापारा अभ्यारण्य में शाकाहारी वन्यप्राणी की वृद्धि हेतु नेशनल जूलॉजिकल पार्क नई दिल्ली से 40 काले हिरण लाये जाकर अभ्यारण्य अंतर्गत निर्मित बाड़े में रखा गया है। वर्तमान में काले हिरणों की संख्या लगभग 70 है, इन काले हिरणों को बारनवापारा संरक्षित क्षेत्र में Prey base में बढ़ोत्तरी करने एवं काले हिरण को पुनः स्थापित करने हेतु इनमें से कुछ निर्धारित मात्रा में पूर्व में विकसित चारागाह क्षेत्रों में छोड़ा जाना है।

3. **नंदनवन जू एवं जंगल सफारी नवा रायपुर से चीतल एवं नीलगाय को संरक्षित वनक्षेत्रों में छोड़ने बाबत्–**

नंदनवन जू एवं जंगल सफारी नवा रायपुर में चीतल एवं नीलगायों की संख्या में वृद्धि हुई है। वर्तमान में चीतलों की संख्या 160 एवं नीलगायों की संख्या 28 है। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित मास्टर प्लान के अनुसार नंदनवन जू एवं जंगल सफारी नवा रायपुर में रखकर शेष चीतल एवं नीलगाय को राज्य के उपयुक्त संरक्षित क्षेत्रों के प्राकृतिकवास में छोड़ा जाना है।

4. **कानन पेण्डारी जू बिलासपुर से शाकाहारी वन्यप्राणी चीतल, सांभर, नीलगाय एवं काले हिरणों को संरक्षित वन क्षेत्र में मुक्त करना–**

कानन पेण्डारी जू बिलासपुर में शाकाहारी वन्यप्राणियों चीतल, नीलगाय, सांभर एवं काले हिरण की संख्या में वृद्धि हुई है। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण नई दिल्ली के मानक गाईड लाईन्स के अनुसार निर्धारित संख्या में शाकाहारी वन्यप्राणियों को रखते हुये अतिशेष शाकाहारी वन्यप्राणी चीतल, सांभर, नीलगाय एवं काले हिरणों को प्रदेश के संरक्षित वन क्षेत्र के उचित रहवास क्षेत्र में स्वतंत्र विचरण हेतु छोड़ा जाना है।

पारित प्रस्ताव :– शाकाहारी वन्यप्राणियों को विभिन्न प्रजनन केन्द्रों एवं अन्य स्थानों से प्रदेश के संरक्षित क्षेत्रों के प्राकृतिक रहवास में छोड़े जाने की अनुमति प्रदान की गयी।

{कार्यवाही द्वारा – प्र.मु.व.सं. (वन्यप्राणी)
क्षेत्र संचालक/उप निदेशक इंद्रावती टायगर रिजर्व जगदलपुर,
उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व रायपुर,
अचानकमार टायगर रिजर्व बिलासपुर}

एजेण्डा आयटम 11/9 :– छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या चार गुना करने के लिए ग्लोबल टायगर फोरम (GTF) द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के क्रियान्वयन की अनुमति बाबत–

प्रदेश में बाघों की संख्या में वृद्धि किये जाने के लिए अचानकमार टायगर रिजर्व कान्हा–अचानकमार– बांधवगढ़ कॉरिडोर का एक अहम हिस्सा है एवं बाघों के आवागमन के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इस कॉरिडोर से बाघ सुरक्षित रूप से एक से दूसरे टायगर रिजर्व में निर्बाध आवागमन करते हैं। अचानकमार टायगर रिजर्व में उपयुक्त एवं वैज्ञानिक प्रबंध किया जाकर बाघों

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

की संख्या में वृद्धि की जा सकती है। अचानकमार टायगर रिजर्व में मांसाहारी वन्यजीवों की संख्या बढ़ाने के लिए शाकाहारी जानवरों (Prey base) में वृद्धि एवं बाघों के रहवास क्षेत्र में संवर्धन का कार्य किया जा रहा है। इस हेतु ग्लोबल टायगर फोरम (GTF) नई दिल्ली जो बाघों के संरक्षण में कार्यरत अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है के वरिष्ठ अधिकारी श्री राजेश गोपाल सेवानिवृत्त भा.व.से. से अचानकमार टायगर रिजर्व को वैज्ञानिक प्रबधंन के सिद्धांतों के आधार पर संरक्षण एवं संवर्धन करने हेतु एक कान्सेप्ट नोट तैयार कर प्रस्तुत किया गया है।

अतः कृपया छत्तीसगढ़ में अचानकमार टायगर रिजर्व के अंतर्गत ग्लोबल टायगर फोरम (GTF) द्वारा बाघों की संख्या में वृद्धि, संरक्षण एवं संवर्धन के लिए की जाने वाली कार्यवाहियों हेतु प्रस्तुत कान्सेप्ट नोट का अनुमोदन एवं उनके द्वारा तैयार की जाने वाली कार्य योजना के अनुसार कार्य करने तथा उन्हें राशि रूपये 27.90 लाख भुगतान की स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रस्तुत है।

पारित प्रस्ताव :– चर्चा उपरांत बोर्ड द्वारा ग्लोबल टायगर फोरम की सेवायें प्राप्त करने हेतु सैद्धांतिक अनुमति प्रदान की गई। वन्यप्राणियों के लिए पर्याप्त मात्रा में जलस्रोत एवं चारागाह विकास करें ताकि शाकाहारी वन्यप्राणियों की संख्या में वृद्धि हो सके जिससे टायगर जैसे मांशाहारी वन्यप्राणियों की संख्या में वृद्धि हो।

{कार्यवाही द्वारा – छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)/
क्षेत्र संचालक/उप निदेशक ए.टी.आर.बिलासपुर,}

एजेण्डा आयटम 12/10 :– छत्तीसगढ़ में हाथियों के प्रबंधन हेतु किये जाने वाले कार्यो को पूर्ण करने के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान को अतिरिक्त समयावधि प्रदान किये जाने के सबंध में।

प्रदेश में मानव–हाथी द्वंद की स्थिति को नियंत्रण करने तथा हाथियों के विचरण/गतिविधियों की निगरानी रखने हेतु हाथियों को रेडियो कॉलर किये जाने के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान को 03 वर्षो में कुल 12 हाथियों का रेडियो कॉलरिंग किया जाना था, किन्तु 03 वर्षो में मात्र 06 हाथियों में रेडियो कॉलरिंग किया गया है। सभी 06 हाथियों में लगाये गये रेडियो कॉलर समय पूर्व गिर गये थे साथ ही कोविड–19 महामारी के कारण मानव हाथी प्रबंधन संबंधी अन्य कार्य भी पूर्ण नहीं किया जा सका।

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र दिनांक 21 जनवरी 2021 के माध्यम से 10 हाथियों के कॉलरिंग की अनुमति प्रदान की गयी है। जिसके अनुक्रम में मानव–हाथी द्वंद में कमी लाने तथा उसके उचित रहवास प्रबंधन एवं अन्य आवश्यक कार्यों को पूर्ण करने हेतु भारतीय वन्यजीव संस्थान को वर्ष 2021 में माह फरवरी से माह दिसंबर, 2021 तक No cost extension की सैद्धांतिक सहमति प्रदान करते हुए कार्यो को समयावधि (दिसम्बर 2021) के अंदर पूर्ण करने की सशर्त अनुमति दी गयी है

पारित प्रस्ताव :– कार्यवाही से बोर्ड अवगत हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा उपर्युक्त संरक्षित क्षेत्रों में वन्यप्राणियों के रहवास का उचित प्रबंधन– भोजन के लिए चारागाह विकास, पीने के पानी की उचित व्यवस्था पानी की उपलब्धता वाले स्थान पर नरवा विकास कार्य के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिये जाने के निर्देश दिये गये ।

{कार्यवाही द्वारा – प्र.मु.व.सं. (वन्यप्राणी)
समस्त मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
भारतीय वन्यजीव संस्थान}

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

एक्स एजेण्डा :–

1. भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत् ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने की स्वीकृति बाबत् :–

मेसर्स छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी (CHIPS) द्वारा भारत नेट परियोजना के तहत छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों के ग्राम पंचायतों को दूरसंचार एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने बलौदाबाजार वनमंडल के बारनवापारा अभ्यारण अंतर्गत ग्राम पंचायत के मार्ग के समानांतर कुल वनभूमि रकबा 1.137 हे. ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

2. उदंती–सीतानदी टायगर रिजर्व अंतर्गत जिओ डिजिटल फाईबर प्रा.लि. के द्वारा ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाने बाबत् :–

धमतरी जिले के मेसर्स जिओ डिजिटल फाईबर प्रा.लि. के द्वारा छत्तीसगढ़ संचार क्रांति योजना के तहत धमतरी जिले के नगरी तहसील क्षेत्रातंर्गत उदंती–सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद वनमंडल क्षेत्र में शामिल मार्ग दोमपदर से मानपुर एवं सलना से कारीपानी के सड़क के समानांतर ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु कुल क्षेत्र 1.068 हे. वनभूमि के गैरवानिकी उपयोग करने हेतु प्रस्तावित किया गया है।

3. <u>सी.आर.पी.एफ. कैम्प के पास बालका नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण की अनुमति बाबत्।</u>

जिला धमतरी के विकासखण्ड नगरी के ग्राम बिरनासिल्ली सी.आर.पी.एफ. कैम्प के पास बालका नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण हेतु अनुमति बाबत् प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित पुल की लम्बाई–105 मी., चौड़ाई–8.40 मी., पहुंच मार्ग की लंबाई–1436 मी. एवं चौड़ाई–8.40 मी. में निर्माण कार्य करना प्रस्तावित है। यह कार्य उदंती–सीतानदी टायगर रिजर्व के अंतर्गत परिक्षेत्र सीतानदी के पश्चिम बिरनासिल्ली एवं गिधवा परिसर के कक्ष क्रमांक 353–351 में निर्माण किया जाना है।

अतः उक्त प्रस्ताव को अनुशंसा सहित राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के स्टैंडिंगकमेटी को भेजा जाना प्रस्तावित है।

पारित प्रस्ताव :– उक्त तीनों प्रस्तावों की अनुमति बोर्ड द्वारा प्रदान की गयी।

{कार्यवाही द्वारा – प्र.मु.व.सं. (वन्यप्राणी)
मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) रायपुर
व.मं.अ. बलौदाबाजार, उप निदेशक उ.सी.टा.रि. गरियाबंद}

माननीय सदस्यों से प्राप्त सुझाव :–

माननीय श्री देवव्रत सिंह, सदस्य विधानसभा – मानव–हाथी द्वंद को कम करने के लिए वनक्षेत्रों में बांस प्रजाति का अधिक से अधिक रोपण करने का सुझाव दिया गया।

श्री सुहास कुमार से.नि. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश – वन्यप्राणियों के कॉरिडोर में बन रहे गांव, खेत, खलिहान आदि का अध्ययन किये जाने, युवा टायगर को रेडियो कॉलर करने ताकि उनके विचरण का अध्ययन हो सके, कैप्टिव एनीमल को वनक्षेत्र में छोड़ने से पूर्व उसका वैज्ञानिक अध्ययन करा लिये जाने का सुझाव दिया गया।

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

श्री हेमंत कश्यप, सदस्य – बीजापुर में गिद्धों के संरक्षण हेतु कार्य योजना बनाये जाने का सुझाव दिया गया। बस्तर में बोध मछली के अलावा 20 अन्य प्रजाति की मछलियों हेतु बस्तर के चित्रकूट में मछलीघर बनाये जाने का भी सुझाव दिया गया।

श्री सौमेन डे विश्व प्रकृति निधि के प्रतिनिधि सदस्य – वनभूमि के गैरवानिकी उपयोग की अनुमति के लिए रखे जाने वाले प्रस्तावों पर पर्याप्त सुसंगत जानकारी उपलब्ध कराने सुझाव दिया। इसके अलावा अचानकमार टायगर रिजर्व में फ्रंटलाईन स्टॉफ विशेष रूप से वनरक्षक के रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाना चाहिए ताकि रिजर्व क्षेत्र में पर्याप्त गश्त एवं और शिविरों का संचालन सुनिश्चित हो सके।

श्री अमलेन्दु मिश्रा – भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा बोर्ड के सदस्यों एवं स्थानीय लोगों को हाथी प्रबंधन संबंधी प्रशिक्षण दिए जाने का सुझाव दिया गया।

पारित प्रस्ताव – माननीय सदस्यों द्वारा उपरोक्तानुसार सुझाए गये बिन्दुओं का परीक्षण कर युक्तियुक्त कार्यवाही किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी।

{माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित}

(पी. वी. नरसिंग राव)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.) सह
मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक छत्तीसगढ़
एवं सदस्य सचिव छत्तीसगढ़
राज्य वन्यजीव बोर्ड

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

परिशिष्ट–1

छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड की 12 वीं बैठक दिनांक 21 जून, 2021 में उपस्थित माननीय सदस्यों की सूची

क्र.	नाम	पदनाम	विभाग / संस्था का नाम पता
1	माननीय श्री भूपेश बघेल	माननीय मुख्यमंत्री एवं अध्यक्ष छ.ग. राज्य वन्यजीव बोर्ड	छत्तीसगढ़ शासन
2	माननीय श्री मोहम्मद अकबर	माननीय मंत्री एवं उपाध्यक्ष, छ.ग. राज्य वन्यजीव बोर्ड	वन एवं जलवायु परिवर्तन, आवास एवं पर्यावरण, परिवहन तथा विधि एवं विधायी कार्य विभाग, रायपुर (छ.ग.)
3	माननीय श्री देवव्रत सिंह	सदस्य विधानसभा	छत्तीसगढ़ शासन
4	श्री मनोज कुमार पिंगुआ IAS	प्रमुख सचिव	छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर
5	श्री राकेश चतुर्वेदी, IFS	प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख	छत्तीसगढ़ नवा रायपुर
6	श्री पी.वी.नरसिंग राव IFS	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) सदस्य सचिव छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड	कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.) छत्तीसगढ़ नवा रायपुर
वर्चुअल (ऑनलाईन) माध्यम से उपस्थित होने वाले सदस्यों की सूची			
1	माननीय श्री शिशुपाल सोरी	संसदीय सचिव	छत्तीसगढ़ शासन
2	श्रीमती अलरमेलमंगई डी IAS	सचिव	छ.ग. शासन वित्त विभाग मंत्रालय नवा रायपुर
3	श्री डी.डी.सिंह, IAS	सचिव	छ.ग. शासन, आ.जा., अनु.जा. विकास विभाग मंत्रालय नवा रायपुर
4	श्री यशवंत कुमार IAS	प्रबंध संचालक	छ.ग. राज्य पर्यटन बोर्ड रायपुर
5	श्री माथेश्वरन व्ही. IFS	संचालक	संचालनालय पशुधन विकास विभाग
6	श्री एस.सी.द्विवेदी	डी.आई.जी. सी.आई.डी	कार्यालय पुलिस महानिदेशक
7	ब्रिगेडियर प्रशांत चौहान	कमांडर COSA	छ.ग. एंड ओड़िशा सब एरिया नवा रायपुर
8	डॉ. पराग निगम	वैज्ञानिक–ई	प्रतिनिधि, भारतीय वन्यजीव संस्थान
9	डॉ. आर.पी. मिश्रा	वन्यप्राणी विशेषज्ञ	वाईल्ड लाईफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया
10	श्री सोमेन डे	प्रतिनिधि	विश्व प्रकृति निधि (छ.ग. / म.प्र.)
11	सुश्री मीतु गुप्ता	सचिव	कंजरवेशन कोर सोसायटी, बिलासपुर

क्र.	नाम	पदनाम	विभाग/संस्था का नाम पता
12	डॉ. सुहास कुमार	से.नि. प्र.मु.व.सं. (वन्यप्राणी)	मध्यप्रदेश
13	श्री के. सी. बेवर्ता	से.नि. प्र.मु.व.सं. (वन्यप्राणी)	धरमपुरा रायपुर छ.ग.
14	श्री मोहित साहू	पक्षी विशेषज्ञ	रायपुर
15	श्री अमलेंदु मिश्रा	पर्यावरणविद	अंबिकापुर
16	श्री हेमंत कश्यप	पर्यावरणविद	बस्तर
17	श्री राजेश यदु	सदस्य	बलौदाबाजार
18	श्री मोईज अहमद	सदस्य	नोवा नेचर वेलफेयर सोसायटी रायपुर
19	सुश्री नेहा सामुएल	पर्यावरणविद	दुर्ग
20	श्री शिवाजी चौहान	सेवा निवृत्त वनाधिकारी	मुम्बई

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

(पी.वी. नरसिंग राव)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.) सह
मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक छत्तीसगढ़
एवं सदस्य सचिव छत्तीसगढ़
राज्य वन्यजीव बोर्ड